राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर
डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.: 0141–2711938, 2711978

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/ दिनांकः

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधीनस्थ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों में निम्नांकित रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/राजकीय सेवा से सेवानिवृत श्रेणी से आपूरित करने एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पदों को आपूरित करने हेतु पैनल तैयार किया जाना हैं। अतः पात्र एवं इच्छुक कार्मिकों से निम्नांकित विवरणानुसार प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.स.	नाम पद	पे–मैट्रिक्स लेवल	रिक्त पद
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	लेवल– 12	06
2	कार्यक्रम अधिकारी	लेवल– 11	04
		कुल	10

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान, जयपुर को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनियुक्ति हेतु दिनांक 28.01.2019 तक पंजीकृत डाक अथवा बन्द लिफाफे में व्यक्तिशः कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। पात्र आवेदको की साक्षात्कार द्वारा चयन कार्यवाही दिनांक 06.02.2019 को प्रातः 10 बजे निदेशालय में आयोजित की जायेगी। जिसकी सूचना पृथक से भी दी जायेगी।

उपरोक्त रिक्त पदों को समान पे–मैट्रिक्स लेवल के पदों अथवा इससे उच्च पे–मैट्रिक्स लेवल के पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। नियमित कार्मिक अपना आवेदन पत्र अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजकीय सेवा से सेवानिवृत कार्मिकों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

आवश्यक शर्ते :–

1. प्रतिनियुक्त कर्मियों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति नियम एवं शर्ते प्रभावी होगे।
2. चयनित अभ्यार्थी का प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत संविदा पुनर्नियुक्ति पर पदस्थापन प्रथमतयाः 06 माह के लिये किया जावेगा एवं कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्य अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
3. अभ्यार्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की जॉच कार्यवाही/अपराधिक प्रकरण, प्रस्तावित/लम्बित/विचाराधीन नहीं होने चाहिए। इसके लिए चयन होने पर चयनित अभ्यार्थियों को शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. रिक्त पदों की संख्या घटाई/बढायी जा सकती है।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु पे–मैट्रिक्स लेवल–12 या इससे उच्च लेवल के पद पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारी, जिन्हें राजपत्रित अधिकारी के पद पर 03 वर्ष का कार्यानुभव हो, आवेदन के पात्र होगें।
6. कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु पे–मैट्रिक्स लेवल–11 या इससे उच्च लेवल के पद पर कार्यरत कार्मिक, जिन्हें प्रथम नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष का कार्यानुभव हो, आवेदन के पात्र होगें।
7. सेवानिवृत श्रेणी के अभ्यार्थी जिनकी आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं हो एवं इनको आवेदित पद की पे मैट्रिस लेवल के समान पद अथवा इससे उच्च लेवल के पद पर तीन वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव हो, ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु विचार योग्य होगें।
8. सेवानिवृत श्रेणी के अभ्यार्थियों को संविदा पर समेकित पारिश्रमिक पर कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.02.2018 की शर्तो के आधार पर संविदा पुर्ननियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

कृ.प.ऊ.

9. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 अनुसार "संबंधित सेवा संवर्ग के रिक्त पद के समान सेवा संवर्ग से सेवानिवृत कार्मिक ही पात्र है, अतः प्रथम प्राथमिकता इस शर्त की पूर्तिकर्ता अभ्यार्थी को प्रदान की जायेगी।" तथा "राजकीय सेवा से सेवानिवृत कार्मिको के अतिरिक्त अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं यथा बोर्ड, निगम, समिति एवं बैंक आदि से सेवानिवृत कार्मिकों के प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत श्रेणी के कर्मियों से प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा, जिसके लिए कोई भी अभ्यार्थी आपत्ति उत्पन्न नहीं कर सकेगा।
11. प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृतकर्मी अभ्यार्थी आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद एवं श्रेणी अर्थात प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।
12. दर्शाये गये रिक्त पद प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत कर्मियों की पात्रतानुसार से भरे जा सकेंगे। किसी श्रेणी विशेष के अभ्यार्थी से पद भरने की बाध्यता नही होगी।
13. प्रतिनियुक्ति सेवा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यार्थी को अपने विभाग के सक्षम स्तर से एनओसी प्राप्त कर संलग्न प्रस्तुत करनी होगी तथा सेवानिवृत श्रेणी के आवेदक अपनी सेवानिवृति पर पदस्थापन विभाग के विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र एवं एलपीसी, पीपीओं आदि दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।
14. उक्तानुसार सारिणी में दर्शाये रिक्त पदो के अतिरिक्त भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की संभावना में प्रतिनियुक्ति/संविदा पुनर्नियुक्ति के आधार पर पदस्थापन हेतु एक पैनल तैयार किया जावेगा, जिनमें से आवश्यकता एवं वरीयता के आधार पर पदस्थापन किया जा सकता है।
15. अभ्यार्थिओं को अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
16. अन्य शर्ते कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 एवं भविष्य में जारी दिशा–निर्देश प्रभावी होगें।

(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/22184-187

दिनांकः 15/1/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करें।
4. सूचना बोर्ड, कार्यालय हाज़ा।
5. रक्षित पत्रावली।

(नीलिमा तक्षक)
अतिरिक्त निदेशक